दिनांक 12.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 256/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय में "Tobacco Control Training Session" कार्यशाला का आयोजन किया गया।

मा0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रदेश को नशामुक्त बनाये जाने के अभियान के क्रम में **श्री राजीव कृष्ण पुलिस महानिदेशक उ0प्र0** के निर्देशों तथा पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण **श्री राजीव सभरवाल** के मार्गदर्शन में आज दिनांक 12.05.2026 को पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ में "Tobacco Control Training Session" कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को तंबाकू नियंत्रण संबंधी कानूनों, नीतियों एवं उनके प्रभावी प्रवर्तन की प्रक्रिया के प्रति जागरूक एवं प्रशिक्षित करना रहा।

अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण श्री बी.डी. पॉल्सन द्वारा कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुये अपने सम्बोधन में कहा कि तंबाकू नियंत्रण केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता एवं प्रभावी कानून प्रवर्तन से भी जुड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है, जिसमें पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

कार्यशाला के दौरान तंबाकू सेवन के स्वास्थ्य एवं आर्थिक प्रभाव, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP), COTPA-2003, PECA-2019 तथा अन्य सहायक कानूनों एवं दिशा-निर्देशों के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

इस अवसर पर डॉ. मुकेश मंताहेलिया (State Nodal Officer, NTCP, UP), डॉ. अमित यादव (Deputy Director, Vital Strategies, New Delhi), श्री सतीश त्रिपाठी (State Consultant, NTCP), श्री विवेक अवस्थी (Executive Director, UPVHA) एवं सुश्री नैना (Project Coordinator, UPVHA) द्वारा प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए तंबाकू नियंत्रण कानूनों के प्रभावी अनुपालन एवं जनजागरूकता के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला गया।

कार्यशाला में उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने तंबाकू नियंत्रण संबंधी कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, जनजागरूकता बढ़ाने तथा समाज को तंबाकू के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखने हेतु अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का संकल्प लिया।

World No Tobacco Day 2026

World No Tobacco Day 2026
Sensitization Workshop with Police Officials

Vital Strategies
Tobacco Control Laws and Policies
Police Training Directorate UP
Amit Yadav
Visit www.vitalstrategies.org

दिनांक 12.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 257/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

रिजर्व पुलिस लाइन जनपद गोंडा का मिला ISO 9001:2015 प्रमाण पत्र

- **रिजर्व पुलिस लाइन गोंडा को उत्कृष्ट प्रबंधन एवं गुणवत्ता मानकों के अनुपालन हेतु मिला ISO 9001:2015 प्रमाण पत्र।**
- **पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण को पुलिस अधीक्षक गोंडा ने भेंट किया प्रमाण पत्र।**
- **बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशिक्षण प्रणाली एवं अनुशासित कार्य संस्कृति के लिए मिली महत्वपूर्ण उपलब्धि।**

जनपद गोंडा की रिजर्व पुलिस लाइन को उत्कृष्ट प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशिक्षण प्रणाली, अनुशासन, संसाधनों के बेहतर प्रबंधन एवं गुणवत्ता मानकों के सफल अनुपालन हेतु ISO 9001:2015 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश **श्री राजीव कृष्ण** को पुलिस अधीक्षक गोंडा द्वारा आज दिनांक 12.05.2026 को उक्त **ISO प्रमाण पत्र भेंट** कर रिजर्व पुलिस लाइन गोंडा की उपलब्धि से अवगत कराया गया। रिजर्व पुलिस लाइन गोंडा को प्राप्त यह प्रमाण पत्र आधुनिक कार्यप्रणाली, बेहतर प्रबंधन प्रणाली, प्रशिक्षण गुणवत्ता एवं व्यवस्थाओं के निरंतर सुधार का प्रतीक है।

उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन **“वामा सारर्थी” अध्यक्षा श्रीमती मीनाक्षी सिंह** की प्रेरणा व वामा सारर्थी अध्यक्षा गोण्डा डा0 तन्वी जायसवाल की देखरेख में पुलिसकर्मियों एवं उनके परिवारों के स्वास्थ्य, शिक्षा, मानसिक सुदृढ़ता एवं बेहतर जीवनशैली को ध्यान में रखते हुए गोण्डा पुलिस द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में– **आधुनिक लाइब्रेरी, अत्याधुनिक जिम, आदर्श बैरक, आदर्श मेस, वातानुकूलित क्रेच/शिशु गृह, पुलिस कैफे (FSSAI प्रमाणित), बहुउद्देशीय हॉल, चिल्ड्रेन पार्क/ओपन जिम, क्रेच/शिशु गृह, फ्लड लाइट युक्त क्रिकेट/फुटबाल ग्राउण्ड इत्यादि** आधुनिक सुविधाओं का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कराया गया है।

पुलिस अधीक्षक गोंडा ने इस उपलब्धि का श्रेय पुलिस लाइन के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मेहनत, अनुशासन एवं टीम भावना को दिया तथा भविष्य में भी उत्कृष्ट कार्य संस्कृति बनाए रखने हेतु प्रेरित किया।

Certificate of Registration

This is to certify that the Quality Management System of

RESERVE POLICE LINE GONDA

CIVIL LINE , DISTRICT GONDA 271001, UTTAR PRADESH , INDIA

is in accordance with the requirements of the following standard

ISO 9001:2015

(Quality Management System)

SCOPE

PROVISION OF RESERVE POLICE FORCE MANAGEMENT, INTENSIVE PERSONNEL TRAINING ,EQUIPMENT & VEHICLE MANAGEMENT, ADMINISTRATIVE CONTROL, ADVANCED WELFARE SERVICES, OPERATIONAL SUPPORT FOR MAINTAINING LAW & ORDER AND EMERGENCY RESPONSE IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE STATUTORY & REGULATORY REQUIREMENTS

(IAF Code: 36,37,39)

Certificate Number : 070526019115

Initial Registration Date : 07-May-2026
1st Surveillance Date : 07-Apr-2027
2nd Surveillance Date : 07-Apr-2028
Certificate Expiry Date : 06-May-2029

To verify certificate, visit at :

www.arscert.com
www.uafaccreditation.org
www.iafcertsearch.org

Issued by ARS Assessment Private Limited

Managing Director

CB-MS-3923

UAF Address : 1060 Laskin Road, Suite 12B/13B, Virginia Beach VA 23451, United States of America

This certificate remains the property of ARS and must be returned to ARS on Cancellation or Suspension of the certificate Validity of the certificate is subject to successful completion of surveillance audits. Further clarification regarding the scope of this certificate and the applicability of standard may be obtained by consulting the Organisation on info@arscert.com

दिनांक 12.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 258/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

- **पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा की गई स्व-गणना**
- **पुलिस महकमे मे स्व-गणना की शुरुआत**

भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण का कार्य स्व-गणना के रूप में प्रारंभ हो चुका है, आज दिनाँक 12.05.2026 को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा जनगणना पोर्टल के माध्यम से स्व-गणना का फॉर्म ऑनलाइन भरा गया तथा इस मौके पर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश **श्री राजीव कृष्ण** ने समस्त विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वयं से जनगणना की सूचना भरने के संबंध में सन्देश दिया। उन्होंने बताया कि जनगणना के निर्धारित पोर्टल के माध्यम से स्व-गणना करना अत्यंत आसान एवं सुरक्षित है। इस माध्यम से आप अपने परिवार की सही सूचना स्वयं से भर सकते हैं।

आज इस अवसर पुलिस मुख्यालय पर समस्त वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्व गणना की गई।

उल्लेखनीय है कि भारत की जनगणना- 2027 के प्रथम चरण का फील्ड कार्य दिनांक 22 मई, 2026 से प्रारंभ होकर 20 जून 2026 तक पूर्ण किया जायेगा। जनगणना कार्य में लगाए गए कर्मचारियों के द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से घर-घर जाकर प्रथम चरण से संबंधित सूचना एकत्र की जायेगी। जनगणना के प्रथम चरण का कार्य मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना से संबंधित होगा, जिस दौरान 33 बिंदुओं पर सूचना एकत्र की जाएगी। अधिकांश प्रश्न परिवार द्वारा धारित सुविधाओं एवं घरेलू उपकरणों की उपलब्धता से संबंधित होगे। जनगणना के आकड़े जनकल्याणकारी योजनाओं के निर्माण एवं विकास का आधार है। अतः प्रदेश के समस्त निवासियों से अपील है कि वह जनगणना में सहयोग प्रदान करें।

इस अवसर पर जनगणना कार्य निदेशालय की ओर से **श्री शीतल वर्मा (IAS),** निदेशक जनगणना भी उपस्थित रही। श्रीमती वर्मा ने बताया कि इस बार भारत सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के लिए दिनाँक 7 मई, 2026 से 21 मई, 2026 तक सभी नागरिकों को स्वयं से जनगणना करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इस हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित वेबसाइटः se.census.gov.in पर अपने मोबाइल के माध्यम से लॉगिन कर अपने परिवार की जनगणना संबंधी सूचना को स्वयं से दर्ज किया जा सकता है और सूचना दर्ज करने के पश्चात पोर्टल द्वारा स्व-गणना की SE-ID स्वतः जनरेट की जाती है। इसके उपरांत, जनगणना का प्रगणक जब भी आपके घर जनगणना की सूचना के लिए विजिट करें, तो स्व-गणना की आईडी (SE-ID) उन्हें उपलब्ध कराना अनिवार्य है। आपके क्षेत्र के लिए अधिकृत

जनगणना का प्रगणक ही आपकी जनगणना की सूचना को अन्तिम रूप से अनुमोदित करेगा। सभी लोग अपने परिवार एवं मकान की सम्यक सूचना अपने जनगणना प्रगणक को उपलब्ध कराएं ताकि जनगणना में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

ज्ञातव्य है कि जनगणना का फील्ड कार्य दिनांक 22 मई से शुरू होकर 20 जून 2026 तक उत्तर प्रदेश राज्य में घर-घर सर्वेक्षण के माध्यम से संपन्न किया जाएगा।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा निदेशक जनगणना को स्मृति चिन्ह भेट किया गया तथा पुलिस मुख्यालय के भूतल स्थित फोटो गैलरी स्थल पर जनगणना निदेशक एवं उनकी टीम के साथ एक फोटो सेशन का भी आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहभागिता की।

दिनांक 12.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 259/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद कन्नौज/थाना छिबरामऊ

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **नगद रूपये**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 12.05.2026 को थाना छिबरामऊ व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फर्रूखाबाद रोड के पास चेकिंग के दौरान बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सागर उर्फ धर्मवीर उर्फ धर्मा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से नगद रूपये, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना छिबरामऊ पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद फतेहपुर, कन्नौज के विभिन्न थानों पर लूट, अपहरण, हत्या, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना छिबरामऊ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सागर उर्फ धर्मवीर उर्फ धर्मा निवासी मनिकापुर थाना छिबरामऊ जनपद कन्नौज।

बरामदगी

1–नगद रूपये ।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना मडियांव

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की पीली धातु के आभूषण**
- **29 हजार 400 रूपये नगद बरामद**

दिनांक 11.05.2026 को थाना मडियांव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नौबस्ता मोड़ के पास से 05 अभियुक्तों 1–जयप्रकाश उर्फ जैकी 2–मनोज कुमार उर्फ जत्थु व 03 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की पीली धातु के आभूषण, 29 हजार 400 रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना मडियांव क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मडियांव पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मडियांव पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जयप्रकाश उर्फ जैकी निवासी वार्ड नम्बर 11 थाना हथीन जनपद पलवल, हरियाणा हालपता–मल्हौर रेलवे स्टेशन के पास चिनहट, लखनऊ।

2–मनोज कुमार उर्फ जत्थु निवासी ग्राम आमरू थाना गदपुरी जनपद पलवल, हरियाणा हालपता–मल्हौर रेलवे स्टेशन के पास चिनहट, लखनऊ।

3–03 अभियुक्ता।

बरामदगी

1–चोरी की पीली धातु के आभूषण।

2–29 हजार 400 रूपये नगद।

- **जनपद कुशीनगर/थाना कोतवाली पडरौना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना कोतवाली पडरौना पर पंजीकृत अभियोग में धारा

302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राजकुमार को आजीवन कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद एटा/थाना रिजोट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 37 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एटा द्वारा थाना रिजोट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201/403 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सूरतराम को आजीवन कारावास व 37 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना ईकोटेक–03 (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा थाना ईकोटेक–03 पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त विजय हरिकिशन को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

दिनांक 12.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 260/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ जोन पुलिस द्वारा "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत उल्लेखनीय सफलता

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 **श्री योगी आदित्यनाथ जी** के अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध जीरो "टॉलरेंस नीति" के तहत पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 **श्री राजीव कृष्ण** द्वारा अपराधियों के विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही के साथ-साथ माननीय न्यायालय से सजा कराये जाने हेतु **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** अभियान सम्पूर्ण प्रदेश में चलाया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत समस्त जनपदों द्वारा अपराधियों को कम समय में सजा दिलाये जाने हेतु प्रभावी पैरवी/मानीटरिंग, गुणवत्तापूर्ण विवेचना, साक्ष्यों का समयबद्ध प्रस्तुतीकरण तथा अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर निरन्तर कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में लखनऊ जोन के अन्तर्गत जनपद सीतापुर, खीरी, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव, अयोध्या, सुलतानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकरनगर एवं अमेठी द्वारा अत्यन्त उल्लेखनीय कार्य किया गया है। दिनांक 01.01.2026 से 10.05.2026 तक लखनऊ जोन के जनपदों द्वारा कुल 328 अभियोगों में अभियुक्तों को माननीय न्यायालय से सजा करायी गयी है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अभियुक्तों को सजा सुनिश्चित कराये जाने के लिये कार्यवाही केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखकर आरोप पत्र प्रेषित करने तक सीमित नहीं रखी गयी, बल्कि अभियुक्तों को समयबद्ध सजा सुनिश्चित कराये जाने हेतु कानून द्वारा स्थापित समस्त प्रक्रियाओं का गंभीरता से अनुपालन किया गया। साक्ष्यों एवं गवाहों को माननीय न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराया गया तथा आवश्यकतानुसार विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं अन्य संस्थाओं से समन्वय स्थापित करते हुए अभियोगों में प्रभावी पैरवी की गयी, जिससे अभियुक्तों को सजा दिलाया जाना सम्भव हो सका।

इस पूरे अभियान में महिला एवं नाबालिग बच्चों के साथ किये गये अपराध, हत्या जैसे गंभीर अपराध, संगठित अपराध, गैंगेस्टर से सम्बन्धित अपराध तथा एन0डी0पी0एस0 से सम्बन्धित अपराधों में विशेष रुचि लेकर कार्यवाही की गयी है। माननीय न्यायालय, अभियोजन विभाग एवं पुलिस के मध्य बेहतर समन्वय के कारण गंभीर अभियोगों में कठोर सजा सुनिश्चित करायी गयी है।

सजा सम्बन्धी जनपदवार विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक-	जनपद -	सजा हुए अभियोगों की संख्या
1	सीतापुर	28

2	खीरी	92
3	रायबरेली	45
4	हरदोई	23
5	उन्नाव	18
6	अयोध्या	43
7	सुलतानपुर	09
8	बाराबंकी	47
9	अम्बेडकरनगर	10
10	अमेठी	13

कुल सजा हुए अभियोगो की संख्या - 328
कुल सजा पाये अभियुक्तों की संख्या - 457

लखनऊ जोन पुलिस द्वारा हत्या, दोहरे हत्याकाण्ड, नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म, दहेज/स्त्रीधन से सम्बन्धित हत्या, पारिवारिक/फौजदारी रंजिश से हुई हत्या तथा अन्य गंभीर अपराधों में अभियुक्तों को कठोर सजा करायी गयी है। सीतापुर में दोहरे हत्याकाण्ड के अभियुक्त को मृत्युदण्ड, बाराबंकी में पॉक्सो के अभियुक्त को आजीवन कारावास, अयोध्या में हत्या के 07 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, उन्नाव में हत्या के 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, हरदोई में हत्या के 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा अम्बेडकरनगर में हत्या के 05 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा करायी गयी है।

दण्ड का प्रकार-	**विवरण**
मृत्युदण्ड-	सीतापुर में दोहरे हत्याकाण्ड के अभियुक्त को मृत्युदण्ड
आजीवन कारावास-	हत्या, पॉक्सो एवं अन्य गंभीर अपराधों में विभिन्न जनपदों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास
10–20 वर्ष की सजा -	गंभीर अभियोगों में अभियुक्तों को 10 से 20 वर्ष तक की सजा
अन्य सजा-	विभिन्न अभियोगों में अभियुक्तों को अन्य दण्ड

प्रमुख मामलों का विवरण

1. जनपद सीतापुर — दोहरे हत्याकाण्ड में मृत्युदण्ड

जनपद सीतापुर के थाना मिश्रिख क्षेत्र में दिनांक 11.02.2022 की रात्रि में अभियुक्त नीरज पुत्र रामसहाय द्वारा अपनी पत्नी माया, उम्र लगभग 23 वर्ष, के चरित्र पर संदेह करते हुए अत्यन्त नृशंस तरीके से उसकी हत्या कर दी गयी। अभियुक्त ने क्रूरता की पराकाष्ठा पार करते हुए अपने मात्र 02 वर्षीय मासूम पुत्र पीयूष को भी जमीन पर पटककर मौत के घाट उतार दिया। बीच-बचाव करने आये अपने भाई सुरेश पर भी अभियुक्त द्वारा धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल किया गया।

थाना मिश्रिख पर पंजीकृत अभियोग की विवेचना पुलिस द्वारा वैज्ञानिक एवं पेशेवर तरीके से पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियोजन पक्ष एवं पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 302 भादवि में मृत्युदण्ड तथा अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

2. जनपद बाराबंकी — नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

जनपद बाराबंकी के थाना सुबेहा क्षेत्र में दिनांक 06.04.2023 को 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी। अभियुक्त धनीराम पुत्र रामदीन, जो पीड़िता के रिश्ते में चाचा लगता था, द्वारा उक्त जघन्य अपराध किया गया। घटना की सूचना पर थाना सुबेहा पर धारा 376 ए/बी भादवि एवं धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस द्वारा अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। घटनास्थल निरीक्षण, वादी एवं पीड़िता के बयान, धारा 161 एवं 164 सीआरपीसी के बयान तथा वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। पुलिस, मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

3. जनपद अयोध्या — हत्या के 07 दोषियों को आजीवन कारावास

जनपद अयोध्या के थाना कोतवाली बीकापुर क्षेत्र में दिनांक 02.08.2022 को रंजिश के चलते अभियुक्तगण द्वारा लाठी, डण्डा एवं रॉड से हमला कर वादी के भाई विवेक वर्मा की हत्या कर दी गयी। उक्त घटना में अनेक अभियुक्त सम्मिलित थे।

थाना कोतवाली बीकापुर पर पंजीकृत अभियोग की विवेचना पुलिस द्वारा वैज्ञानिक एवं पेशेवर तरीके से पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। थाना पुलिस, पैरोकार एवं मानीटरिंग सेल द्वारा साक्ष्यों, माल तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट को समयबद्ध तरीके से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कराया गया। प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा 07 अभियुक्तों को धारा 302/149 भादवि में आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

4. जनपद रायबरेली — हत्या के अभियोग में आजीवन कारावास

जनपद रायबरेली के थाना हरचन्दपुर क्षेत्र में वादिनी द्वारा अपनी पुत्रवधू की हत्या के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान षड्यंत्र एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं की वृद्धि करते हुए अभियुक्तगण रामगोपाल माली एवं लीलावती को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

गुणवत्तापूर्ण विवेचना, अभियोजन की प्रभावी पैरवी तथा पुलिस की निरन्तर मानीटरिंग के फलस्वरूप माननीय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट द्वारा अभियुक्तगण को आजीवन कारावास एवं 3,10,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

5. जनपद खीरी — पत्नी की हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास

जनपद खीरी के थाना पढ़ुआ क्षेत्र में दिनांक 13.04.2024 को अभियुक्त अयोध्या प्रसाद उर्फ श्रीकृष्ण द्वारा घरेलू कलह के चलते अपनी पत्नी अवधेशा देवी पर फावड़े से कई बार प्रहार कर उसकी हत्या कर दी गयी। घटना के दौरान बचाने आयी नितांशी को भी अभियुक्त द्वारा मारपीट कर घायल किया गया।

थाना पढ़ुआ पर पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा वैज्ञानिक एवं पेशेवर विवेचना पूर्ण कर समय से आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अभियोजन पक्ष एवं मानीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

6. जनपद उन्नाव — हत्या के अभियोग में 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास

जनपद उन्नाव के थाना गंगाघाट क्षेत्र में दिनांक 14.01.2024 को अभियुक्तगण द्वारा वादी पक्ष के व्यक्ति को जबरन पकड़कर उससे पैसों की मांग की गयी। पैसे न देने पर अभियुक्तगण द्वारा मारपीट की गयी। जब वादी का पति विनोद कश्यप बीच-बचाव हेतु मौके पर पहुँचा तो अभियुक्तों द्वारा उसे भी ईंट-पत्थर से गंभीर रूप से मारा-पीटा गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आयी और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी।

विवेचना के आधार पर हत्या की धारा की वृद्धि की गयी। पुलिस द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। गुणवत्तापूर्ण विवेचना, अभियोजन एवं मानीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

7. जनपद हरदोई — हत्या के 03 दोषियों को आजीवन कारावास

जनपद हरदोई के थाना बेनीगंज क्षेत्र में दिनांक 08.03.2008 को फौजदारी रंजिश के चलते अभियुक्तगण द्वारा वादी के चचेरे भाई विजय उर्फ पप्पू पर देशी बंदूक एवं तमंचे से जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। घायल विजय उर्फ पप्पू की उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी।

थाना बेनीगंज पर पंजीकृत अभियोग की विवेचना पुलिस द्वारा पूर्ण कर आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अभियोजन पक्ष एवं मानीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

8. जनपद अम्बेडकरनगर — दहेज/स्त्रीधन के लिए हत्या के 05 दोषियों को आजीवन कारावास

जनपद अम्बेडकरनगर के थाना टाण्डा क्षेत्र में दिनांक 24.07.2022 को वादिनी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण द्वारा उसकी पुत्री को दहेज एवं स्त्रीधन के लिए प्रताड़ित किया गया तथा मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया। थाना टाण्डा पर हत्या का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना वैज्ञानिक एवं पेशेवर तरीके से पूर्ण की गयी।

अभियोजन पक्ष एवं मानीटरिंग सेल द्वारा गवाहों को समयबद्ध तरीके से न्यायालय में प्रस्तुत कराया गया तथा सशक्त साक्ष्य रखे गये। परिणामस्वरूप 05 अभियुक्तों को धारा 302/34 भादवि में सश्रम आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

9. जनपद सुलतानपुर — हत्या के अभियुक्तों को आजीवन कारावास

जनपद सुलतानपुर के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में दिनांक 24.09.2023 को अभियुक्तगण द्वारा वादिनी के पति से पैसे की मांग की गयी। पैसे न देने पर जान से मारने की नीयत से मारपीट की गयी तथा मरणासन्न अवस्था में ई-रिक्शा पर लादकर घर भेज दिया गया। अस्पताल ले जाते समय पीड़ित की मृत्यु हो गयी।

थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियोजन पक्ष एवं मानीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी से अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

10. जनपद अमेठी — हत्या के अभियुक्तों को आजीवन कारावास

जनपद अमेठी के थाना संग्रामपुर क्षेत्र में दिनांक 02.03.2022 को अभियुक्तगण द्वारा हत्या की गंभीर घटना कारित की गयी। प्राप्त सूचना पर थाना संग्रामपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

थाना पुलिस, मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। माननीय न्यायालय द्वारा दोषी अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 90,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रदेश में चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** अभियान से न केवल अपराधियों को सजा दिलायी जा रही है, बल्कि कानून अपने वास्तविक उद्देश्य — पीड़ितों को न्याय दिलाने — में भी सफलता प्राप्त कर रहा है। लखनऊ जोन पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना, समयबद्ध पैरवी, साक्ष्यों के वैज्ञानिक प्रस्तुतीकरण, अभियोजन विभाग से समन्वय तथा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रभावी कार्यवाही के माध्यम से गंभीर अपराधों में कठोर सजा सुनिश्चित करायी गयी है।

अल्प समय में उचित पैरवी एवं माननीय न्यायालय से बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए अपराधियों को सजा दिलाने से जहाँ अपराधियों में दण्ड का भय उत्पन्न हुआ है, वहीं समाज में पुलिस के प्रति सकारात्मक छवि एवं जनविश्वास का निर्माण हुआ है।

दिनांक 12.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 261/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

2वीं अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता-2025-26 के अंतर्गत खिलाड़ियों के सम्मान में "बड़ा खाना" का आयोजन

- **देशभर की 42 पुलिस एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की टीमें प्रतियोगिता में कर रहीं प्रतिभाग।**
- **35वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ में खिलाड़ियों एवं अधिकारियों के सम्मान में बड़े खाने का आयोजन।**
- **सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने खिलाड़ियों एवं अतिथियों को किया मंत्रमुग्ध।**

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा तक 2वीं अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता-2025-26 का आयोजन दिनांक 09.05.2026 से 13.05.2026 तक किया जा रहा है। प्रतियोगिता का शुभारम्भ मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी, लखनऊ में किया गया।

इसी क्रम में आज दिनांक12.05.2026 को 35वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ में प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही समस्त 42 टीमों के खिलाड़ियों, टीम मैनेजरों एवं अधिकारियों के सम्मान में भव्य **"बड़ा खाना"** एवं सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पुलिस माडर्न स्कूल (गोमती नगर एवं पुलिस लाइन, लखनऊ) के बच्चों द्वारा प्रस्तुत नृत्य व गायन, भातखण्डे के कलाकारों द्वारा मुख्य अतिथि के आगमन पर समूह लोकनृत्य का प्रदर्शन, डेल्फिक एसोसिएशन आफ उत्तर प्रदेश द्वारा सामूहिक गायन एवं देशभक्ति से ओतप्रोत अन्य प्रस्तुतियों ने सभी खिलाड़ियों एवं अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक सीआईडी, पुलिस महानिदेशक सिविल डिफेन्स, पुलिस महानिदेशक रेलवें, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक मध्य जोन/सचिव उ0प्र0 पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

के उपलक्ष्य में आयोजित